

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230058
SG-DL-E-29092021-230058

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 188
No. 278]	DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943	[N. C. T. D. No. 188

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सं. फा. 9 (14)/एमआरटीएस/एल एंड बी/एलए/2020/2856.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० का०आ० 2740(अ) एवं दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना का० आ० 2004(अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल खानपुर गाँव पर ऐरो-सिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर तक आरंभ होने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन परियोजना के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखते हैं इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1688 वर्ग मीटर भूमि अधिकृत की जाएगी, जो खसरा संख्या 94/1(1-00), 99/1(0-16), 100/1 (2-01), 100/2 (0-11), 102/1 (0-12) एवं 102/2 (1-00) राजस्व भूसंपत्ति खानपुर गाँव का क्षेत्र हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को दिनांक 29.09.2021 की अधिसूचना सं०फा० 9/14/एमआरटीएस/एल एंड बी/एलए/2020/2845 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है

आगे, सामाजिक प्रभाव आकलन के मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि

इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण) कार्यालय, एम0बी0रोड़, साकेत, नई दिल्ली-110068 में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय जैन, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(LAND ACQUISITION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2021

F. No. 9(14)/MRTS/L&B/LA/2020/2856.—In the exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with sub-rule (1) of rule 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014, read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs's Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, intends to acquire land for public purpose of Delhi Metro Rail Corporation project starting from Aero City to Tuglakabad corridor at Khanpur village. The land to be acquired for this purpose is 1688 square meter of Khasra Nos. 94/1(1-00), 99/1(0-16), 100/1(2-01), 100/2(0-11), 102/1(0-12) and 102/2(1-00) revenue estate Khanpur village. The Indian Institute of Public Administration (IIPA), Indraprastha Estate, Ring Road New Delhi 110002 has been assigned as the Social Impact Assessment Unit to carry out social impact assessment study in relation to aforesaid land vide Notification No. 9(14)/MRTS/L&B/LA/2020/2845 dated 29.09.2021.

Further, the main objectives of Social Impact Assessment are consultation with stake holders and public, survey and public hearing wherever required. The time period for Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan will be six months from date of issue of this notification and same will be disclosed by the way of websites, posters, leaflets and public hearing as the case may be at the conspicuous places in affected areas, and in the office of District Collector (South), M.B. Road, Saket New Delhi 110068.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY JAIN, Dy. Secy. (L&B)